स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-09/2025 श्र0सं0- 4070

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

मनीष कुमार,
सहायक श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, मुंगेर/जमुई/बक्सर/पटना/समस्तीपुर/शिवहर एवं रोहतास।

पटना, दिनांक- 10/07/2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास- उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण- मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुनर्वापसी पर व्यय, विपत्र कोड-26-2230011140102 (सामान्य श्रेणी) एवं विपत्र कोड-26-2230017890103 (अनुसूचित जाति), के अन्तर्गत **CFMS2.0 Software** से निर्गत किये गये आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरूद्ध CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:-

2. सामान्य कोटि (विपत्र कोड-26-2230011140102) के मृत प्रवासी श्रमिकों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष-31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए रूपये ₹1,00,000/-मात्र एवं ₹2,00,000/-मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक एवं स्थायी आंशिक निःशक्त श्रमिक को ₹37,500 मात्र की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 स0	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि (रू)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	मुंगेर	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, मुंगेर के ज्ञापांक–1067, दिनांक–17.06.2025 के आलोक में। (1) मृतक–स्व0 छोटू कुमार, आश्रित–रोहित ठाकुर (पिता), ग्राम+पो0–अमैया, था0+प्र0–असरगंज, जिला–मुंगेर।
2	जमुई	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक–894, दिनांक–15.11.2024 के आलोक में। (1) मृतक–स्व0 राजीव कुमार, आश्रित–ममता देवी (पत्नी), ग्राम–जिनाहरा, पोस्ट–काला, थाना–लक्ष्मीपुर, प्रखंड–लक्ष्मीपुर, जिला–जमुई।
		01	1,00,000/-	जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक–923, दिनांक–20.11.2024 के आलोक में। (2) मृतक–स्व0 सचिन्द्र कुमार, आश्रित–मसो0 कविता देवी, (पत्नी), ग्राम–भंदरा, पोस्ट–नूमर, थाना–बरहट, प्रखंड–बरहट, जिला–जमुई।
		01	1,00,000/-	जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक–712, दिनांक–21.09.2024 के आलोक में। (3) मृतक–स्व0 मुन्ना कुमार तांती, आश्रित–मसो0 सोनाली देवी (पत्नी), ग्राम–मंगरार, पोस्ट–दिघी, थाना–लक्ष्मीपुर, प्रखंड–लक्ष्मीपुर, जिला–जमुई।

3. **अनुसूचित जाति** (विपत्र कोड–26–2230017890103) के मृत प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष 31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए रूपये ₹1,00,000/–मात्र एवं ₹2,00,000/–मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0 स0	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि (रू)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	पटना	01	2,00,000/–	श्रम अधीक्षक, पटना के पत्रांक–2727, दिनांक–17.06.2025 के आलोक में। (1) आवेदक–परम पासवान (पिता), पुत्र–स्व० प्रकाश कुमार, ग्राम–चामुचक, पो०–पैमार घाट, थाना–पिपरा, प्रखंड–पुनपुन, जिला–पटना।
2	समस्तीपुर	01	1,00,000/–	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक–1126, दिनांक–04.06.2025 के आलोक में। (1) मृतक–स्व० अमरजीत दास, पिता–स्व० कैलाश दास, आश्रित–प्रियंका देवी (पत्नी), ग्राम–बाल कृष्णपुर मड़वा, पो०+था०+प्र०–विद्यापतिनगर, जिला–समस्तीपुर।
3	शिवहर	01	2,00,000/–	जिला पदाधिकारी, शिवहर के ज्ञापांक–240, दिनांक–05.06.2025 के आलोक में। (1) मृतक–स्व० फेकु कुमार, पिता–सुरेन्द्र पासवान, आश्रित–फुलायता देवी (पत्नी), ग्राम–सुंदरपुर खरौना, पोस्ट–महुअरिया, था०+प्र०–शिवहर, जिला–शिवहर।
4	रोहतास	01	2,00,000/–	जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक–36, दिनांक–11.01.2025 के आलोक में। (1) मृतक–स्व0 श्याम बिहारी राम, पिता–स्व० तेढ़ू राम, आश्रित–सहोदरा देवी (पत्नी), ग्राम–अरंग, पो०–बसडिहाँ, थाना–दिनारा, जिला–रोहतास।

4. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2254, दिनांक-02.05.2025 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में ''बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत'' अनुदान की राशि 2,00,000/-(दो लाख) मात्र एवं 1,00,000/- (एक लाख) मात्र प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक की दर से, उनके आश्रित को भुगतान हेतु, आवंटित की गयी है।

5. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने कि कृपा की जाय।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि0 दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।

7. अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है, तो वह अनियमित होगा ।

8. अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में, आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ, निकासी के उपरांत, अविलम्ब सक्षम प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।